न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

बईजलास – श्री सुरेन्द्र बी. पाटीदार, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 934 / 2023
दायर दिनांक :– 13.09.2023

अनवान

नारायण पिता कल्याण दरोगा उम्र व्यवस्क निवासी दलपुरा तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा

प्रार्थी.........

बनाम

1. भुरा पिता उदा दरोगा निवासी दलपुरा तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा
2. भुरी पुत्री उदा दरोगा निवासी दलपुरा तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा
3. भुला पत्नि उदा दरोगा निवासी दलपुरा तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा
4. रामप्रसाद पिता उदा दरोगा निवासी दलपुरा तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा
5. लाली पुत्री उदा दरोगा निवासी दलपुरा तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा
6. छोटू पिता छगना दरोगा निवासी दलपुरा तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा
7. प्रतापः पिता छगना दरोगा निवासी दलपुरा तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा
8. रामनाथ पिता छगना दरोगा निवासी दलपुरा तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा
9. 9 शम्भू पिता छगना दरोगा निवासी दलपुरा तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा
10. 10 नारायण पिता भूरा दरोगा निवासी दलपुरा तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा
11. लाली पुत्री भूरा दरोगा निवासी दलपुरा तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा
12. लाडा पुत्री भूरा दरोगा निवासी दलपुरा तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा
13. गंगा पुत्री भूरा दरोगा निवासी दलपुरा तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा
14. छोटी पुत्री भूरा दरोगा निवासी दलपुरा तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा
15. जयलाल पिता भोजा गुर्जर निवासी दलपुरा तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा
16. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सा. जहाजपुर तहसील जहाजपुर

अप्रार्थी..............

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) रा. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक

1. श्री नारायण लाल शर्मा, एडवोकेट प्रार्थी,

:: आदेश :: दिनांक 01.07.2024

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने पेश कर निवेदन किया की ग्राम दलपुरा प.ह किशनगढ भु अभि. नि. खजुरी तहसील जहाजपुर में आ. न. 100/6 रकबा 1.0800 हैक्टेयर व आ. न. 172/1 रकबा 1.0800 कुल किता 2 रकबा 2.1600 हैक्टेयर खातेदारी सें राजस्व रेंकार्ड में प्रार्थी नारायण पिता कल्याण दरोगा निवासी दलपुरा तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा (के नाम दर्ज हैं व कब्जे काश्त सें उक्त कृर्षि भूमी पर अबाध्य रुप सें लगातार काश्त करता चला आ रहा हैं। ग्राम दलपुरा प.ह किशनगढ भु. अभि. नि. खजुरी तहसील जहाजपुर में आ. न. 169/3 रकबा 0.6804 हैक्टैयर खातेदारी से भूरा पिता उदा दरोगा 1/5 व खातेदार भूरी

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)

C:nirnay//rider

Scanned with CamScanner

पुत्री उदा दरोगा 1/5 व भुला पत्नि उदा 1/5 व रामप्रसाद पिता उदा दरोगा 1/5 व लाली पुत्री उदा दरोगा (1/5) उम्र व्यवस्क निवासी दलपुरा तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा के नाम राजस्व रेंकार्ड में दर्ज हैं, ग्राम दलपुरा प.ह किशनगढ भु अभि.नि. खजुरी तहसील जहाजपुर में आ.न. 169/2 रकबा 0.6696 व आ.न. 168/2 रकबा 1.8468 खातेदारी से छोटू पिता छगना दरोगा 1/4 व प्रताप पिता छगना दरोगा 1/4 व रामनाथ पिता छगना दरोगा 1/4 व शम्भू पिता छगना दरोगा 1/4 निवासी दलपुरा तहसील जहाजपुर खातेदारो के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है। ग्राम दलपुरा प.ह किशनगढ भु अभि.नि. खजुरी तहसील जहाजपुर में आ.न. 172/6 रकबा 1.0584 खातेदारी से सोसर पत्नि भूरा दरोगा 1/6 व नारायण पिता भूरा दरोगा 1/6 व खातेदार लाली पुत्री भूरा दरोगा 1/6 व खातेदार लाली पुत्री भूरा दरोगा 1/6 खातेदार लाली पुत्री भूरा दरोगा 1/6 खातेदार लाडा पुत्री भूरा दरोगा 1/6 खातेदार गंगा पुत्री भूरा दरोगा 1/6 खातेदार छोटी पुत्री भूरा दरोगा 1/6 निवासी दलपुरा तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा के नाम राजस्व रेंकाई में दर्ज हैं खातेदार सोसर फौत हो चुकी है उपरोक्त पैरा 4 मे वर्णित शेष खातेदार सोसर के विधिक वारिस है। ग्राम दलपुरा प.ह किशनगढ भु अभि.नि.खजुरी तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) में आ.न. 181/172 रकबा 3.4344 खातेदारी से सरकारी पडत के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है। ग्राम दलपुरा प.ह किशनगढ भु अभि.नि. खजुरी तहसील जहाजपुर में आ.न. 172/1 रकबा 1.0800 खातेदारं प्रार्थी नारायण पिता कल्याण दरोगा निवासी दलपुरा की खातेदारी भूमी में जानें का रास्ता मुख्य सडक आबादी से आ.न. 169/3 रकबा 0.6804 सें आ.न. 169/2 रकबा 0.6696 व आ.न. 168/2 रकबा 1.8468 खातेदारी व आ.न 172/6 रकबा 1.0584 भूमी मे से होकर प्रार्थना पत्र के पैरा सख्या 5 जों आ.न. 181/172 रकबा 3.4344 खातेदारी से सरकारी पडत ग्राम दलपुरा प.ह किशनगढ भु अभि.नि. खजुरी तहसील जहाजपुर उपरोक्त मे से रास्ता होकर जाता है। उक्त रास्ता करीब 50 वर्ष से अधिक पुराना है जिस पर होकर पूर्व खातेदार व पूर्व खातेदारो के पूर्वज व वर्तमान में प्राथी अपनी पैरा संख्या एक मे वर्णित खातेदारी कृर्षि भुमि पर अबाघ्य रुप सें लगातार आता जाता रहा हैं। ग्राम दलपुरा प.ह किशनगढ भु अभि. नि. खजुरी तहसील जहाजपुर में आ.न. 100/6 रकबा 1.0800 खातेदार प्रार्थी अपनी पैरा संख्या एक मे वर्णित खातेदारी कृर्षि भुमि नारायण पिता कल्याण दरोगा निवासी दलपुरा की खातेदारी भूमी में जानें का रास्ता अपनी पैरा संख्या एक मे वर्णित खातेदारी कृर्षि भुमि 172/1 से होकर सरकारी भूमी से होते हुए जाता है जिस पर बिना विधिक अधिकार के अप्राथी सख्या 15 जयलाल पिता भोजा गुर्जर उम्र व्यवस्क निवासी दलपुरा तहसील जहाजपुर ने पैरा संख्या एक में वर्णित कृर्षि भूमी आ.न. 100/6 रकबा 1.0800 में आने जाने के एक मात्र रास्ता मे अवैद्य अतिक्रमण कर रास्ते मे काटेदार अवरोद्य लगाकर रास्ता रोक दिया है। उक्त रास्ता पैरा संख्या एक मे वर्णित खातेदारी कृर्षि भुमिं आ.न. 100/6 रकबा 1.0800 व आ.न. 172/1 रकबा 1.0800 कुल किता 2 रकबा 2.1600 है. राजस्व रेकार्ड में आने जाने हेतु दर्ज नही होने के कारण प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार को पैरा संख्या एक में वर्णित कृर्षि

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)

C:nirnay//rider

Scanned with CamScanner

भूमी में आने जाने व कृषि यंत्र लाने ले जाने मे काफी परेशानीयों होती है। प्रार्थी पैरा संख्या एक में वर्णित कृर्षि भूमी खातेदारी कृर्षि भुमि आ.न. 100/6 रकबा 1.0800 व आ.न. 172/1 रकबा 1.0800 कुल किता 2 रकबा 2.1600 मे आने जाने व कृषि यंत्र लाने ले जाने हेतु मे से 15 फीट चौडा रास्ते की जमीन को अपने नाम प्रार्थी राजस्व रेकार्ड व नक्शे मे अभिलिखित कराना चाहता हैं। व जो भी भुमी रास्ते मे अभिलिखित होगी उसकी नियमानुसार व आदेशानुसार प्रार्थी राशी अप्राथीगण खातेदारो को जमा कराने को तैयार है। राजस्व रेकार्ड मे रास्ता दर्ज नही होने के कारण अप्राथीगणो ने प्रार्थी के एक मात्र आने जाने के रास्ते को दिनाक 24.8.2023 को रोक लेने से प्रार्थना पत्र पेंश करनें का कारण उत्पन होंकर जारी हैं। प्रार्थी के पैरा संख्या एक में वर्णित कृर्षि भूमी मे आने जाने व कृषि यंत्र लाने ले जाने हेतु अप्राथीगणो की खातेदारी भूमी आ.न 169/3 रकबा 0.6804 व आ.न 169/2 रकबा 0.6696 आ.न 168/2 रकबा 0.18468 व आ.न 172/6 रकबा 1.0584 व सरकारी आ.न 181/172 रकबा 3.4344 व अन्य सरकारी भुमी से जों भी मौका पटवारी रिर्पोट आती है उस अनुसार मे से 15 फीट चौडा रास्ते की जमीन को राजस्व रेकार्ड व नक्शे लटठा शीट मे अभिलिखित किये जाने का आदेश फरमावें। प्रार्थी रास्ते की जमीन को अपने नाम राजस्व रेकार्ड व नक्शे मे अभिलिखित कराना चाहता हैं। व जो भुमी रास्ते मे अभिलिखित होगी उसकी नियमानुसार व आदेशानुसार प्रार्थी राशी जमा कराने को तैयार है। अतः श्रीमान से आग्रह है कि राजस्व रेकार्ड व नक्शा लटठा शीट मे प्राथी के नाम राजस्व रेकार्ड मे रास्ते को अभिलिखित किये जाने का आदेश फरमावे। व बिना विधिक अधिकार के अप्राथी सख्या 15 जयलाल पिता भोजा गुर्जर दवारा किये गये आने जाने के एक मात्र रास्ता मे अवैद्य अतिक्रमण को हटवाने का आदेश कराये जाने की मांग की।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थीगण बावजुद सुचना के उपस्थित नहीं होने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थी की आराजी न. 172/1 में पहुॅचने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता है या नही तथा वैकल्पिक रास्ता नही होने की स्थिति में मार्ग में आने वाली आराजी का रकबा एवं डी एल सी दर अनुसार जॉच कर तहसीलदार जहाजपुर से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार जहाजपुर ने जरिये पत्र दिनांक 26.12.2023 से रिपोर्ट भिजवाई, जिसे शामिल फाईल किया गया। तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की जोत तक पहुंचने के लिये वैकल्पिक रास्ता नही है। तथा प्रार्थी की जोत तक आने जाने के लिये लघुत्तम रास्ता खसरा नं. 181/172 में से रास्ता देने पर 0.1296 हैक्टेयर भूमि प्रभावित होगी। रिपोर्ट के साथ डी एल सी दर की प्रति संलग्न है।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने बताया कि प्रार्थी की जोत आ.न. 172/1 में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थी को अपनी कृषि जोत के उपयोग हेतु रास्ते की आंत्यांतिक आवश्यकता है, क्योंकि उक्त भूमि पर

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)

C:nirnay//rider

Scanned with CamScanner

कुछ व्यक्तियों द्वारा जबरन कब्जा कर रास्ता अवरूद्ध कर रखा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करा रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराना फरमावे।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। तथा तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। प्रार्थी अपने आ.न. 172/1 में आने जाने हेतु ख. न. 181/172 में से रास्ता चाहते है। तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के आ.न. 172/2 में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता दर्ज रिकोर्ड नही है। एवं प्रार्थी की उक्त आराजियात में आवागमन हेतु बिलानाम आराजी सं. 181/172 में से रास्ता प्रस्तावित किया गया है। अतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थी की आ.न. 172/1 तक पहुँचने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। वैकल्पिक रास्ते के अभाव में और रास्ते की आंत्यांतिक आवश्यकता होने के कारण न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर. टी. ए. स्वीकार किया जाता है और ग्राम दलपुरा प. ह किशनगढ भु अभि. नि. खजुरी तहसील जहाजपुर में आ. न. 172/1 में आने जाने के लिये आ. न. 181/172 से रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता हैं। रास्ते हेतु आ.न. 181/172 में से रास्ता देने पर कुल 0.1296 हैक्टेयर भुमि प्रभावित होगी। तथा आ. न. 181/172 में रास्ते से प्रभावित रकबा 0.1296 हैक्टेयर की एवज में डी एल सी दर की के दुगुने के हिसाब से 44050 रू. प्रतिकर देय है, जो मौके पर प्रार्थी राजकोष में जमा/अदा करेंगे। उपरोक्तानुसार रास्ता दर्ज कर राजस्व नक्शा सीट पर तरमीम कर नामान्तरकरण दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 01.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र बी. पाटीदार)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक/रीडर/24/मु.न. 934/2023

निमित, दिनांक 01.07.2024

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :– प्र. सं. 934/23 अनवान नारायण पिता कल्याण दरोगा उम्र व्यवस्क निवासी दलपुरा तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा बनाम भुरा पिता उदा दरोगा निवासी दलपुरा, भुरी पुत्री उदा दरोगा निवासी दलपुरा, भुला पत्नि उदा दरोगा निवासी दलपुरा, रामप्रसाद पिता उदा दरोगा निवासी दलपुरा, लाली पुत्री उदा दरोगा निवासी दलपुरा, छोटू पिता छगना दरोगा निवासी दलपुरा, प्रताप पिता छगना दरोगा निवासी दलपुरा, रामनाथ पिता छगना दरोगा निवासी दलपुरा, शम्भू पिता छगना दरोगा निवासी दलपुरा,नारायण पिता भूरा दरोगा निवासी दलपुरा,लाली पुत्री भूरा दरोगा निवासी दलपुरा,लाडा पुत्री भूरा दरोगा निवासी दलपुरा,गंगा पुत्री भूरा दरोगा निवासी दलपुरा,छोटी पुत्री भूरा दरोगा निवासी दलपुरा,जयलाल पिता भोजा गुर्जर निवासी दलपुरा तहसील जहाजपुर

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम दलपुरा प. ह किशनगढ भु अभि. नि. खजुरी तहसील जहाजपुर में आ. न. 172/1 में आने जाने के लिये आ. न. 181/172 से रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता हैं। रास्ते हेतु आ.न. 181/172 में से रास्ता देने पर कुल 0.1296 हैक्टेयर भुमि प्रभावित होगी। तथा आ. न. 181/172 में रास्ते से प्रभावित रकबा 0.1296 हैक्टेयर की एवज में डी एल सी दर की के दुगुने के हिसाब से 44050 रू. प्रतिकर देय है, जो मौके पर प्रार्थी राजकोष में जमा/अदा करेंगे। उपरोक्तानुसार रास्ता दर्ज कर राजस्व नक्शा सीट पर तरमीम कर नामान्तरकरण दर्ज किया किया जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर(शाहपुरा)
जहाजपुर (शाहपुरा)

Scanned with CamScanner